

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

22/5/24

पत्राधारी पेशा हुई / दावा वादी डिक्री
हो गया है। ऐसी स्थिति में गार्डन
~~पत्राधारी~~ गार्डन होने के
कारण स्वार्थि किया जाता है। पूर्व
में जारी 7.2 स्वार्थि किया जाता
है। पत्रा. दाखिल इफ्तदा है।

217
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)